कार्यालय,खण्ड चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.)
Tele-07825-287675 email-bmo2uberla@yahoo.in

क्रमांक/ 08 /एन.एच.एम./2018–19 बेरला, दिनांक :–03/01/2019

ज्ञापन/निविदा आमंत्रण सूचना

विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा में मितानिनों के 23वां चरण प्रशिक्षण हेतु निविदा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरला में एनएचएम के तहत 23 वां चरण मितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किए जाने हेतू निविदा बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरला के अधीनस्थ कार्यरत मितानीनो को 23 वॉ चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी मितानीनों एवं प्रशिक्षको को चाय, नाश्ता व भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। मीनू अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन प्रदाय किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित है।

दिनॉक 08.01.2019 तक उपरोक्त संबंध में संलग्न मीनू/सूची अनुसार निविदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरला के कक्ष कं. 22 विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कक्ष में कार्यालयीन समय में सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक बंद लिफाफे में जमा कराया जा सकता है। लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से मितानीन प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किए जाने हेतु निविदा पत्र लिखा होना चाहिए।

निविदा पत्र जमा करने की तिथि :– 08/01/2019 दोपहर 2.00 बजे तक।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी – कक्ष क्रमांक 22

निविदा खोले जाने की तिथि – 08/01/2019 शाम 4.00 बजे तक।

नोट :– अधिक जानकारी के लिये कक्ष कं. 22 विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक संपर्क कर सकते है।

सेवा प्रदाता चयन हेतु शर्तेः–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत संलग्न मीनू अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अधिकतम व्यय सीमा राशि रू.120/– (एक सौ बीस रूपये) मात्र है।

क्रमशः–

Scanned by CamScanner

2. संस्था द्वारा प्रदाय निविदा के चयन पश्चात उसमें किसी तरह की कमी मान्य नहीं होगा, सामग्रीयो तथा गुणवत्ता में कमी या समय पर प्रशिक्षणार्थीयो हेतु चाय, नाश्ता एवं भोजन व अन्य सामग्री उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित निविदाकर्ता/संस्था/स्वयं सहायता समुह का चयन निरस्त किया जायेगा एवं किसी प्रकार का कोई भुगतान नही किया जावेगा।
3. प्रदाय किये जाने वाले भुगतान पर शासन के नियमानुसार टीडीएस की कटौती किया जायेगा।
4. निविदा पत्र के साथ राशि रू. 300–/ अक्षरी तीन सौ रूपये का डी.डी./बैंकर्स चेक जीवनदीप समिति सामु. स्वा.केन्द्र बेरला के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य है,जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
5. प्रशिक्षण में प्रशिक्षको को प्रदाय की जाने वाले चाय, नाश्ता व भोजन के लिये अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
6. विस्तृत जानकारी कक्ष क्रं. 22 से प्राप्त की जा सकती है।

मितानीन प्रशिक्षण में मीनू अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन का मीनू चार्ट।

क्रं.	विवरण	सामाग्री विवरण	रिमार्क
1	सुबह का नाश्ता	पोहा/समोसा,जलेबी,चाय अथवा समतुल्य	
2	दोपहर का भोजन	चांवल,दाल,सब्जी,पापड़,अचार अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन
3	शाम की चाय	चाय,बिस्कुट अथवा समतुल्य	
4	रात्रि का भोजन	चांवल,दाल,सब्जी,पापड़,अचार अथवा समतुल्य	भरपेट भोजन

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–बेरला

क्रमांक/ / /2019 बेरला, दिनांक : / /2019

प्रतिलिपि

1. श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान जनसूचना अधिकारी जिला बेमेतरा की ओर विस्तृत जानकारी को http://bemetara.gov.in पर प्रकाशित करने के लिये सादर सूचनार्थ।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–बेरला

Scanned by CamScanner